213

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 11—तीन/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 01—10—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 513—अ/2004—05/निगरानी

.....

भागवान दास पुत्र नाथूराम अहिरवार,
निवासी —ग्राम छिपरी
तहसील जतारा, जिला—टीकमगढ़, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— सुकराम पुत्र बित्थू कुशवाह
2— मगन तनय हल्के कुशवाह
3— बसंती तनय मगन कुशवाह
4— हल्ले तनय मगन कुशवाह
5— कैलाश तनय सुकराम कुशवाह,
समस्त निवासी—ग्राम छिपरी
तहसील जतारा, जिला—टीकमगढ़, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 व 5

.....

आदेश
(आज दिनांक 19-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी, न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01—10—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम छिपरी स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 10 कुल 07 जुज चरनोई भूमि से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 02.03.2002 के परिपालन में ग्राम के भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों को नायब तहसीलदार लिधौरा वृत्त के आदेश दिनांक 30.12.2002 से पट्टाधारी घोषित किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदकगणों द्वारा की गई अपील अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 513–अ/2004–05 में दर्ज होकर दिनांक 01.10.2011 को निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि शासन के पत्र दिनांक 02.03.02 में निहित निर्देशों के अनुरूप ही भूमिहीन श्रेणी में होने से आवेदक को नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा भूमि बंटित की गई थी तथा उसे भूमि का पट्टा भी मिल गया था, किन्तु अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अनुविभागीय अधिकारी, जतारा द्वारा स्वीकार की जाना किसी भी दृष्टि से भी उचित नहीं है, क्योंकि नायब तहसीलदार के आदेश से चौदह महीने पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि उनके द्वारा बिना धारा–5 के आवेदन पर विचार किये गुण–दोषों पर स्वीकार कर ली गई है। वह आदेश विधिसंगत नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने न तो शासन के निर्देशों का ही सही ढंग से अवलोकन किया है और न धारा–5 के ही बिन्दु पर कोई विचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने भी इन बिन्दूओं पर ध्यान नहीं दिया और प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसंगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतएव उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, जतारा का आदेश तथा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 30.12.2002 बहाल किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा किया गया बंटन त्रुटिपूर्ण होने से उसे अनुविभागीय अधिकारी, जतारा द्वारा किया गया है, जो विधिसंगत है, इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश में की गई है । अतएव उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, जतारा ने उनके न्यायालय में अपील के प्रस्तुतीकरण में हुये विलंब को सदभावना में क्षमा करते हुये ही गुण–दोषों के आधार पर इस प्रकरण में दिनांक 03.03.05 को आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने बंटन आदेश निरस्त होने से प्राप्त भूमि को शासन के वर्तमान निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रकरण नायब तहसीलदार लिधौरा के न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। क्योंकि शासन में वर्णित मापदंडो का सही ढंग से परीक्षण किये बगैर ही नायब तहसीलदार, लिधौरा द्वारा आवेदक को भूमि का बंटन किया गया है । वह प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा निरस्त किया गया है । इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 01–10–2011 में की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–10–2011 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर